तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय प्रतिवेदन हेतु विभिन्न आवश्यकताओ तथा वित्तीय नियमो के सरकार के अनुपालन की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रतिवेदन मे निष्कर्ष के समर्थन मे विभिन्न स्त्रोतों से एकत्र की गई अतिरिक्त जानकारियो का एक उपंग भी है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता के अन्तर्गत विशिष्ट प्रयोजन के लिये प्रदत्त अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्रहीताओं से प्राप्त किया जाना चाहिए एवं सत्यापन उपरान्त स्वीकृति दिनांक से 18 माह के अंदर जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, महालेखाकार को अग्रेषित किया जाना चाहिए। निर्धारित समयावधि के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना इंगित करता है कि अनुदान का उपयोग उद्दिष्ट प्रयोजन हेतु नहीं की गयी है। दिनांक 31 मार्च 2013 को वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिये दिये गये ₹ 11,012.95 करोड़ की 27238 उपयोगिता प्रमाण-पत्र में से ₹ 6,848.30 करोड़ की 11858 उपयोगिता प्रमाण-पत्र ***परिशिष्ट 3.1*** लंबित थी जिसकी विस्तृत जानकारी **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र की विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की संख्या	राशि
वर्ष 2009-10 तक	5727	3,013.18
2010-11	3785	2,919.60
2011-12 (09/2011तक)	2346	915.52
योग	**11858**	**6,848.30**

विभाग जिनसे 2007-08 के पहले से 31 मार्च 2013 तक ₹ 100 करोड़ से अधिक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित हैं, वह विभाग स्थनीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 2,361.83 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 980.10 करोड़), अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 629 करोड़), शहरी विकास (₹ 415.21 करोड़), सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 337.92 करोड़), फसल कृषि-कर्म (₹ 306.31 करोड़), खाद्य, भंडारण तथा भंडागार (₹ 282.73 करोड़), उर्जा (205.16 करोड़), जल प्रदाय एवं सफाई (₹ 195.41 करोड़), सड़क तथा सेतु (₹ 167.97 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण (₹ 142.43 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 120.97 करोड़) तथा पशु पालन (₹ 120.53 करोड़)।

3.2 प्रदत्त अनुदान एवं ऋण का विवरण विलम्ब से प्रस्तुत करना/नहीं करना

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं शर्ते) के अधिनियम 1971 की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने हेतु संस्थाओं/संगठनो का पहचान के लिए शासन /विभागाध्यक्ष द्वारा विभिन्न संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले वित्तीय सहायता का विस्तृत विवरण, प्रयोजन जिसके लिए अनुदान दिया गया है तथा संस्थाओ का कुल व्यय लेखापरीक्षा को प्रेषित किया जाना चाहिए। लेखा एवं लेखापरीक्षा विनिमय 2007 के प्रावाधानों के अनुसार सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो निकायो अथवा प्राधिकरणों को अनुदानो और/अथवा ऋणों को संस्वीकृत करते है वे, ऐसे निकाय और प्राधिकरण जिन्हे पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल दस लाख रूपये अथवा उससे अधिक के अनुदानो और/अथवा ऋणों का भुगतान किया गया है, प्रत्येक वर्ष जुलाई की समाप्ति तक (क) सहायता की राशि (ख) प्रयोजन जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाते हुए एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेगें। अगस्त 2013 की स्थिति में सरकार के किसी भी विभाग ने इस तरह की जानकारी नहीं भेजी थी। इसके अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा, विधायी/सरकार को यह आश्वासन नहीं दिया जा सका कि उनके द्वारा स्वीकृत/देय अनुदान का किस तरह से उपयोग किया गया ।

3.3 स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

राज्य में 30 स्वायत्त निकाय है जिसमें से दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौपने तथा स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखो की स्थिति नीचे **तालिका 3.2** मे दी गई है

तालिका 3.2 :प्रस्तुत लेखे की स्थिति

स.क्र	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जहाँ तक लेख प्रस्तुत किये गये
1	छतीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल	2004-05 से 2009-10 एवं 2007-08 से 2011-12	अगस्त 2013 तक कोई लेखे प्रस्तुत नहीं किए गयें।
2	छतीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण	2007-08 से 2011-12	वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लेखे प्रस्तुत किए गयें।

इन दो निकायों के 13 बकाया वार्षिक लेखो में से छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (छ.ग.जि वि से.प्रा) के चार लेखे प्राप्त हुए है (नवम्बर 2012)। छ.ग. राज्य एवं जिला विधिक सेवाए के वर्ष 2007-08 की लेखाओं का लेखा परीक्षण किया गया तथा प्राधिकरण को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया (जुलाई 2013)। परंतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधानसभा में रखे जाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई (नवम्बर 2013) ।

शेष नौ लेखों छ.ग. गृह निर्माण मंडल (8) तथा छ.ग. राज्य एवं जिला विधिक सेवाऐं प्राधिकरण (1) से लंबित है। राज्य शासन द्वारा लेखाओं का समय पर संकलन करने तथा समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने के लिए तत्परता से उपाय करना चाहिए जिससे की कोई वित्तीय अनियमिताऐं यदि हो तो इंगित किये जाने से रह न जाये। छ.ग.गृह निर्माण मंडल तथा छ.ग.जि.वि.से.प्रा. की वर्ष 2012-13 की लेखाओं की लेखापरीक्षा नही सौपा गया (नवम्बर 2013)।

3.4 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

संक्षिप्त नैमित्तिक देयको के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयको की स्थिति छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त नैमित्तिक दैयक(ए.सी.बिल्स) में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित सभी नैमित्तिक देयको के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयको (डी.सी.बिल्स) को चालू माह के प्रथम दिवस से पूर्व संबंधित नियंत्रक अधिकारियो को प्रतिहस्ताक्षर के लिये एवं महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के अंत (31 मार्च 2012) तक कोई भी ए.सी.बिल्स लंबित नहीं था। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 6.22 करोड़ की 206 ए.सी.बिल्स आहरित किये गये जिसके विरूद्ध ₹ 1.93 करोड़ के 106 डी.सी.बिल्स प्राप्त हुए जिससे 31 मार्च 2013 को ₹ 4.29 करोड़ की 100 ए.सी.बिल्स असमायोजित रहे। विस्तृत विवरण **तालिका-3.3** में दिया गया है।

तालिका-3.3: संक्षिप्त नैमित्तिक देयको के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयकों की स्थिती

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी.देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत डी.सी. देयक		बकाया ए.सी. देयक	
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयाकों की संख्या	राशि
2011-12 तक	70	4.53	208	6.93	278	11.46	*	*
2012-13	0	0.00	206	6.22	106	1.93	100	4.29
योग			**206**	**6.22**	**106**	**1.93**	100	4.29

(स्त्रोतः-कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी)

** वर्ष 2011-12 तक कोई डी सी देयक लंबित नहीं थें*

कुल ₹ 4.29 करोड़ के लंबित ए.सी.बिल्स मे से ₹ 2.24 करोड़ (52 प्रतिशत) ग्राम तथा लघु उद्योग, ₹ 0.89 करोड़ (21 प्रतिशत), फसल कृषि कर्म एवं ₹ 0.88 करोड़ (21 प्रतिशत) उद्योग विभाग से संबंधित है। असमायोजित ए.सी.बिल्स जिनके डी.सी.बिल्स 31 मार्च 2013 तक लंबित का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** मे दिया गया है।

3.5 व्यक्तिगत निक्षेप खाते

छत्तीसगढ कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के प्रावधानानुसार समेकित निधि से नामे कर व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा की गई राशि को वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत निक्षेप खाते को आगामी वर्ष में पुनः नियमानुसार प्रारंभ किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा मुख्यशीर्ष 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय से ₹ 10.51 करोड़ आहरित किए जाकर 31 मार्च 2013 को नया रायपुर विकास प्राधिकरण के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा किए थे । मार्च के अंतिम दिवस को इस प्रकार का स्थानांतरण प्राथमिकताः बजट के व्यपगत होने से रोकने की प्रवृति एवं अपर्याप्त बजट नियंत्रण को दर्शाता हैं। राज्य के व्यक्तिगत निक्षेप खातों का विस्तृत विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

तालिका- 3.4 व्यक्तिगत निक्षेप खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

दिनांक 01.04.2012 की स्थिति मे लेखाओं की संख्या एवं राशि		वर्ष के दौरान आरंभ किए गए खातों की संख्या		वर्ष के दौरान बंद किए गए खातों की संख्या		वर्ष के दौरान संव्यवहारों (निवल) की राशि	दिनांक 31.03.2013 की स्थिति मे लेखा की संख्या एवं राशि	
143	729.22	01	25.00	07	0.72	123.43	137	605.79

(स्त्रोतः-वित्त लेखे)

राज्य कोषालय संहिता के सहायक नियम 543 के अधीन राज्य सरकार के निर्देश अनुसार संबंधित व्यक्तिगत लेखाओं के प्रशासक इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रशासक की लेखा पुस्तिका में दर्शाए गए शेषों का मिलान मार्च माह के धन-ऋण् पत्रक में दर्शाए शेषों से हो रहा हैं। 31 मार्च 2013 की स्थिति मे 137 में से 126 प्रशासकों के व्यक्तिगत निक्षेप खातों में दर्शाए ₹ 600.29 करोड के शेषों का मिलान नही किया गया था। 23 व्यक्तिगत निक्षेप खाता, जिसमें ₹ 3.77 करोड जमा है, विगत तीन वर्षो से भी अधिक समय से अप्रचलित है।

व्यक्तिगत निक्षेप खातों में निधियों को रखना और अधिक समय से उसका उपयोग नहीं करना राजस्व व्यय को बढ़ा दिया तथा संसाधनों को अवरूद्ध करता है जिसे विकासात्मक उपयोग परिलाभ के उद्देश्य से अन्यत्र किया जा सकता था।

3.6 हानि तथा गबन के प्रकरणो का प्रेषण

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22 एवं 23 मे प्रावधान है कि लोक धन की हानि, गबन एवं दूर्विनियोग के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। संहिता के नियम 24 मे प्रावधान है कि अचल संपत्ति जैसे भवन, सड़क एवं पुलिया की अग्नि, बाढ़, तूफान, भूकम्प अथवा अन्य प्राकृतिक कारणो से हुई हानि जिनका मूल्य ₹ 3,000 और उससे अधिक है, को भी महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके पश्चात विभागो द्वारा विस्तृत जाँच करके हानि के कारणों तथा पुनरावृत्ति रोकने के उपायों/कार्यवाही से अवगत कराना चाहिए।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित 1586 प्रकरणो में ₹ 15.81 करोड़ शासकीय धन का मार्च 2013 के अंत तक निर्णयात्मक जाँच एवं निपटारा अपेक्षित है। ऐसे प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.3*** में दर्शाया गया है। विभागवार एवं श्रेणीवार लंबित प्रकरणो का विभाजन ***परिशिष्ट 3.4*** मे दिया गया है। लंबित प्रकरणो की अवधिवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी जैसे चोरी, एवं हानि में कितनी संख्यक प्रकरण लंबित है, इनका संक्षिप्तीकरण **तालिका 3.5** मे किया गया है।

तालिका-3.5: हानियों एवं गबनों आदि की स्थिति

(₹ लाख में)

लम्बित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
श्रेणी वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	293	482.15	चोरी	134	61.09
5 - 10	300	332.72			
10 - 15	185	425.03	संपति /सामग्रियों की हानि	1410	1,388.77
15 - 20	232	147.18	गबन	42	131.01
20 - 25	246	120.77	कुल लंबित प्रकरण	1586	1,580.87
25 एवं उसके उपर	330	73.02			
योग	1586	1,580.87			

(स्त्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणो से प्रकरण लंबित है उनको निम्न तालिका मे दी गयी पाँच श्रेणीयों मे वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका-3.6: हानि एवं गबन आदि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

(₹ लाख में)

सं. क्र.	प्रकरण विलम्ब/लम्बित होने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की प्रत्याशा में लम्बित	23	204.59
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णित नहीं	520	390.21
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णित लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लम्बित	02	0.10
4	वसूली/अपलेखन के आदेश अपेक्षित	992	898.44
5	न्यायालय में प्रकरण लम्बित	49	87.53
	योग	1586	1,580.87

(स्त्रोतः राज्य शासन के विभागों से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 1586 प्रकरणों मे से 992 प्रकरण (63 प्रतिशत) विभागो/शासन द्वारा वसूली अथवा अपलेखन के आदेश जारी न किये जाने के कारण लंबित है। यह इगित होता है कि विभागों/शासन के द्वारा विलंब कारवाई के परिणामस्वरूप शासकीय धन से संबंधित की वसूली या प्रकरणों की निराकरण नहीं हो पाया।

यद्यपि 520 प्रकरणों की ₹ 390.21 लाख में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ है परन्तु 31 मार्च 2013 की स्थिति में यह अंतिम तौर पर निर्णीत नहीं थे।

3.7 विविध लोक निर्माण अग्रिम के समायोजन

3.7.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, कंडिका 13.4 के अंतर्गत प्रत्येक कार्य विभाग को विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा संधारण करना है। विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा एक उचन्त लेखा है जो कि (1) उधार बिक्री[1] (2) जमा कार्यों में प्राप्ति से अधिक व्यय (3) हानि, अपर्वतन, त्रुटि, इत्यादि[2] (4) अन्य मदों में व्यय[3] कि लेन-देनों का लेखा रखा जाता है। वसूली योग्य राशि जिनका वसूली नहीं हो सकता है उन राशि को किसी अन्य मदों में स्थानांतरित अथवा अपलेखन नहीं किया जा सकता जब तक कि इस हेतु आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो। जमा कार्यों को छोड़कर किसी राशि जैसे कि स्वीकृति का नामित किये गये व्यय अभाव, असम्पूर्ण स्वीकृति अथवा विनियोजन के अभाव के कारण उचन्त लेखे में स्थानान्तरण नहीं किया। विविध लोक निर्माण अग्रिम के मुख्य शीर्ष 2059 - 799 - उचंत लेखा के अन्तर्गत में विकलन होगा विविध लोक निर्माण अग्रिम के विस्तृत लेखा फार्म 67 ''उचंत लेखा पंजी'' में रखा जायेगा। ऐसे मदों पर व्यय जो कि जमा कार्यो पर प्राप्त जमा राशि से अधिक व्यय के श्रेणी में आते है उनके विस्तृत विवरण इस खाते में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जमा कार्यो पर व्ययों के लेखा-जोखा पृथक रूप से जमा कार्यो के शेडयूल (फार्म 65) में रखा जाता है। अन्य तीनों मदों के लिए पृथक फोलियों आरक्षित कर विस्तृत रूप से रखा जाना चाहिए जिससे प्रत्येक मदों को व्यक्तिगत रूप से समायोजन हेतू निगरानी किया जा सके। प्रत्येक मदों के एक संक्षिप्त विवरण रखा जाना चाहिए जिससे समायोजन करने हेतु निगरानी रखा जा सके।

3.7.2 असमायोजित विविध लोक निर्माण लेखे की स्थिति

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को तीन[4] विभागो द्वारा प्रस्तुत किया गया मासिक लेखो के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत कुल राशि ₹ 133.01 करोड [5] 31 मार्च 2013 तक समायोजन हेतु लंबित था। छः संभागो के लेखापरीक्षा के विस्तृत जाँच मे अग्रिम राशि ₹ 24.02 करोड (275 प्रकरण) असमायोजित पाया गया जिसका विवरण **तालिका 3.7** में वर्णित है

---

1 उधार बिक्री- जब भंडार की किसी सामग्री को उधार पर बेचा जाता है तो उसकी कीमत एवं पर्यवेक्षण व्यय यदि वसूली योग्य हो आदि विविध लोक निर्माण अग्रिम के (उधार बिक्री) मद में भारित किया जायेगा जिससे कि भंडार-लेखा सटिक रूप से रखा जा सके एवं किसी व्यक्ति अथवा विभाग से वसूली योग्य राशि की निगरानी की जा सके।

2 हानि, अपवर्तन, त्रुटि इत्यादि- प्रकरण जैसे कि (क) नगद या भंडार में कमी, (ख) नगद या भंडार का वास्तविक हानि,(ग) समायोजन हेतु अपेक्षित लेखा मे त्रुटि, (घ) शासकीय सेवक से वसूली योग्य अपवर्त्तन एवं हानि प्रकरण आदि।

3 अन्य मदो में व्यय- ऐसे मदो में व्यय जिनका शीर्ष मालूम न हो एवं वसूली हेतु अपेक्षित हो।

4 लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग

5 लोक निर्माण विभाग(₹ 61.61 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 31.85 करोड़) एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग (₹ 39.56 करोड़)

तालिका 3.7 : छः संभागों के असमायोजित लंबित राशि का अवधिवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्षों से लंबित	प्रकरणों कि संख्या	कुल राशि
0 से 5 वर्ष	30	8.58
5 से 10 वर्ष	34	6.96
10 से 15 वर्ष	23	1.91
15 से 20 वर्ष	39	0.93
20 से 25 वर्ष	33	1.56
25 से 30 वर्ष	18	0.83
30 वर्षों से अधिक	19	0.76
प्रकरण जिसमे वर्ष एवं माह अंकित नही है	79	2.49
योग	275	24.02

लेखापरीक्षा के निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा तीनों निर्माण विभाग को समय-समय पर विविध लोक निर्माण अग्रिम के असमायोजित राशि के बारे में दृष्टि आर्कषण करने के बावजूद संबंधित विभाग/संभाग द्वारा उचन्त लेखा समायोजित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। छः चयनित संभागो को विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखाओं संबंधित समीक्षा के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयीः

- ***अनियमित शीर्ष पर व्यय ₹ 2.17 करोड़***

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता, कंड़िका 13.4 के अंतर्गत जमा कार्यों को छोड़ कर किसी अन्य व्यय जैसा कि स्वीकृति में अभाव के कारण अथवा असंपूर्ण स्वीकृति आदि को एम.पी.डब्ल्यू.ए. को भारित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु लोक निर्माण विभाग के दो[6] संभागो के लेखापरीक्षा नमूना जाँच के दौरान देखा गया कि उपरोक्त नियमो के विपरीत ₹ 2.17 करोड़ (21 प्रकरण) (***परिशिष्ट 3.5***), अति विशिष्ट/ विशिष्ट अधिकारियो के भ्रमण, राज्योत्सव एवं जिलापाल रायपुर एवं बिलासपुर द्वारा अन्य कार्यों आदि पर व्यय किया गया एवं व्यय एम.पी.डब्ल्यू ए शीर्ष को भारित किया गया। चार से 30 वर्ष का अवधि व्यतित होने के बावजूद भी उक्त राशि ईकाइओं से समायोजित अथवा वसूली नहीं किया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर कार्यपालन अभियंता (का.अ) लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि), रायपुर द्वारा बताया गया (मई 2013) की संबंधित अभिलेख वर्त्तमान में उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्तर बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। का.अ. लो.नि.वि बिलासपुर द्वारा बताया गया (मई 2013) की 30 वर्ष व्यतित होने के बाद अभिलेखो का उपलब्ध नहीं होना एवं कुछ अभिलेखो का वर्षा से नष्ट हो जाने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है।

उत्तर से यह तथ्य इंगित होता है कि विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया, लंबी अवधि व्यतीत होने के बाद एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण उपरोक्त राशियों को समायोजन/वसूली कर पाने की संभावना कम प्रतीत होता है।

[6] का.अ.लो.नि.वि. संभाग क्रमांक -1 रायपुर एवं का.अ लो.नि.वि संभाग क्र. -1 बिलासपुर

- ***ठेकेदारो एवं आपूर्तिकर्त्ताओं से अग्रिम का वसूली न होना***

छः संभागो के लेखापरीक्षा जाँच के दौरान अशासकीय व्यक्ति एवं संस्था जैसे ठेकेदार, आपूर्तिकर्त्ता, तेल कंपनियाँ, सिमेंट कंपनियाँ के विरूद्ध वर्ष 1970 से ₹ 10.37 करोड़ (70 प्रकरण) (***परिशिष्ट 3.6***) के अग्रिम राशि का वसूली/समायोजन नहीं किया गया। उक्त राशि ठेकेदारो, आपूर्तिकर्त्ताओ के द्वारा जमा की गई प्रतिभूति जमा, बैंक गारंटी एवं चल देयको से वसूली/समायोजन किया जाना चाहिए था। परंतु यह देखा गया कि उक्त राशियो का न तो समायोजन किया गया है और ना ही उनके नामो पर विभाग के पास कोई प्रतिभूति बैंक गारंटी जमा अथवा बकाया भुगतान वसूली हेतु उपलब्ध है। आगे यह भी देखा गया कि एम.पी.डब्ल्यू.ए. में डालने का कारण, वाउचर क्रमांक एवं दिनांक एम.पी.डब्ल्यू.ए के नामित करने का प्राधिकार आदि अंकित नही है।

इसे इंगित किये जाने पर,

- का.अ.लो.नि.वि. संभाग क्रमांक -1 रायपुर द्वारा बताया गया (मई 2013) कि अभिलेखो के उपलब्ध होने पर उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।
- का.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, रायपुर ने बताया (जून 2013) कि संबंधित ठेकेदारो को नोटिस जारी किया गया है परंतु इससे संबंधित कोई की अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। यह बताया गया कि एम.पी.डब्ल्यू.ए. में डालने के कारण, प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक तथा प्राधिकार आदि के अंकित नहीं किये जाने का कारण पुराने अभिलेखों के उपलब्ध होने पर लेखापरीक्षा को उत्तर प्रेषित किया जाएगा।
- का.अ.लो.नि.वि. संभाग क्रमांक -1 बिलासपुर ने बताया (मई 2013) कि संबंधितो से वसूली हेतु संभाग द्वारा समय-समय पर पत्राचार किया जा रहा है।
- का.अ.जल संसाधन संभाग, रूद्री ने बताया (जून 2013) कि संबंधित ठेकेदारों के सही पता संभाग के पास नहीं होने के कारण पत्राचार नही कर पा रहे है। साथ में यह भी बताया गया कि संबंधित ठेकेदारो के विरूद्ध प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी नहीं होने के कारण उपरोक्त राशि का वसूल हो पाना संभव नहीं है।
- का.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, ने बताया (जून 2013) कि पुनरीक्षित आकलन एवं आवंटन के अभाव में उपरोक्त अग्रिमों का समायोजन लंबित है। आवंटन प्राप्त होने पर ठेकेदारो के देयको मे से समायोजन कर दी जायेगी। पुराने प्रकरण के संबंध में वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। का.अ. द्वारा दिया गया जवाब लेखापरीक्षा के आपत्ति को पुष्टि करता है।

- **विभागीय अधिकारियों से अग्रिम का वसूली/समायोजन न होना**

विभागीय अधिकारियो जैसे कार्यपालन अभियंता उपसंभागीय अधिकारी, उपअभियंता आदि के नाम अग्रिम राशि ₹ 4.55 करोड़ (57 प्रकरण) (***परिशिष्ट 3.7***) पाया गया। उपरोक्त अग्रिम लंबे अवधि, वर्ष 1972 से असमायोजित रही है। उपरोक्त राशियों का संबंधित अधिकारियो के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में दर्शाया नहीं गया है न ही विभाग द्वारा एम.पी.डब्ल्यू.ए. में राशि को भारित के पश्चात् अग्रिम का वसूली/समायोजन हेतु प्रयास किये गये।

- इंगित किये जाने पर का.अ.लो.नि.वि. संभाग क्रमांक -1 रायपुर ने बताया (मई 2013) गया कि अभिलेखो के उपलब्ध होने पर उत्तर प्रेषित किया जाएगा।
- का.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग, रायपुर ने बताया की अभिलेखो के बहुत पुराने होने के कारण एवं संभाग के कार्यालय बारंबार बदलने के कारण, वर्त्तमान में अभिलेखो का मिलना संभव नही हो पा रहा है। विभाग द्वारा उसे ढुढने का प्रयास किया जाएगा ।
- का.अ.लो.नि.वि. संभाग क्रमांक -1 बिलासपुर ने बताया कि दो अधिकारियों के मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध अग्रिम का शासन के आदेश पर अधिव्यजन कर दिया गया हैं। जिन प्रकरण का पता संभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं इसका वसूली करना संभव नही हैं क्योकि प्रकरण बहुत पुराने हो चुके है। यह भी बताया गया कि कुछ प्रकरण शासन से पुनरीक्षित स्वीकृत के अभाव मे लंबित हैं स्वीकृती प्राप्त होने पर समायोजन की कार्यवाही की जाएगी।
- का.अ,जल संसाधन संभाग, रूद्री ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों के पता ठिकाना, जैसे वर्तमान पदस्थापना, सेवानिवृत्ति आदि के बारे मे, संभाग के पास जानकारी नही है । अतः संबंधितों के पता, ठिकाना, ढुढ़ने का प्रयास किया जाएगा।
- का.अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (लो.स्वा.यां) संभाग, जगदलपुर ने बताया कि वसूली हेतू पत्राचार जारी है। एक प्रकरण में (आइटम क्रमांक 102) ₹ 12.77 लाख का समायोजन तकनीकी कारणों से अपेक्षित है।

अतः, संभागों द्वारा दिए गए उत्तर से यह सिद्व होता है कि आवश्यक मूल अभिलेखो का उपलब्ध नही होना, तथा संबंधित कर्मचारियों के पता ठिकाना नहीं होने के कारण लंबित राशियो का वसूली की संभावना बहुत कम है।

• अन्य संभागों एवं विभागों से असमायोजित अग्रिम

छः संभागों के लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि राशि ₹ 6.95 करोड (130 प्रकरण) ***(परिशिष्ट 3.8)*** अन्य संभागों एवं विभागों के नाम पर असमायोजित रखा गया है । उपरोक्त अग्रिम विभिन्न सामग्री यथा लोहा, सिमेंट इत्यादि अन्य संभागों को दिये जाने एवं जमा कार्य के बावत है । प्रकरण छः साल से लेकर 30 साल से भी अधिक समय तक की अवधि के लिए लंबित हैं। उपरोक्त राशि को विविध लोक निर्माण अग्रिम खाते में डालने हेतु प्राधिकार, प्रमाणक क्रमांक एवं दिनांक इत्यादि (नए प्रकरण को छोडकर) अंकित नहीं है। ये यह दर्शाता है कि संभागों द्वारा उपरोक्त अग्रिमों के समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

यह इंगित करने पर,

- का.अ,लो.नि.वि. रायपुर ने बताया (मई 2013) कि संबंधित अभिलेख तत्काल नहीं मिल रही है अतः अभिलेख उपलब्ध होने पर उतर प्रेषित किया जायेगा ।
- का.अ,लो.स्वा.यां संभाग, रायपुर ने बताया की जमा कार्यो के विरूद्ध विविध अग्रिम राशि का नियमित समायोजन किया जा रहा है । शेष को जल्द ही समायोजित कर लिया जाएगा। अन्य अग्रिमों के लिये संबंधितों से समय-समय पर स्मरण पत्र जारी किया गया है परंतु इस संबंध में कोई नस्ती लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया।
- का.अ.लो.नि.वि. बिलासपुर ने बताया कि समय-समय पर पूर्व के अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जाता रहा है, प्रकरण बहुत पुराने होने के कारण उनके विस्तृत विवरण

उपलब्ध नहीं है।

- का.अ,लो.नि.वि. जगदलपुर ने बताया कि पुनरीक्षित आबंटन के अभाव में कुछ अग्रिम असमायोजित रही है तथा आवंटन प्राप्त होने पर अग्रिमों का समायोजन कर दिया जाएगा। पुराने प्रकरण के लिए पत्राचार जारी है।

  चयनित छः संभागों के अतिरिक्त 13 लोक निर्माण विभाग/संभागों के लेखापरीक्षा (मई 2013 से अक्टुबर 2013) में विविध लोक निर्माण अग्रिम खाते में राशि ₹ 21.42 करोड़ (***परिशिष्ट 3.9***) विभिन्न ठेकेदारों, विभागीय अधिकारी एवं अन्य संभाग / विभाग के नाम पर असमायोजित पाया गया।

  लेखापरीक्षा के दौरान यह इंगित किये जाने पर कार्यपालन अभियंताओं द्वारा यह बताया गया कि अग्रिमों के वसूली/ समायोजन हेतु कार्यवाही/ प्रयत्न किया जाएगा।

3.7.3 अन्य बिन्दु

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता (सी.पी.डब्ल्यू.ए) के कंडिका 13.4.7 के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिमों के लेखाओं को फार्म 67 "उचंत पंजी" में रखा जाना चाहिए ताकि प्रत्येक आइटम की निगरानी की जा सके।

छः संभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि विस्तृत लेखे में विवरण जैसे लेन-देनों की प्रवृत्ति प्रमाणक क्रमांक, एम पी डब्लू ए के नामे करने हेतु प्राधिकार एवं अग्रिमों के वसूली न होने के कारण आदि के विस्तृत विवरण उचंत पंजी में अंकित नहीं थे। अतः मूल अभिलेखों के सटिक संधारण ना करने तथा अग्रिमो का लंम्बे अवधि तक असमायोजित/ संशोधित रहने के कारण वसूली/समायोजन की संभावना बहुत कम है।

फार्म-70, भाग -II सी.पी. डब्ल्यू.ए संहिता के नीचे दिये गये नोट के अनुसार जो अग्रिम छः महिने से ज्यादा समय के लिए असमायोजित रहता है उनका विस्तृत विवरण सितंबर एवं मार्च के मासिक लेखा पत्रक के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। मासिक लेखा के जाँच में यह देखा गया की अधिकांश संभागों द्वारा (153 में से 13) विस्तृत विवरण के बदले में सिर्फ सारांश पत्रक संलग्न किया जा रहा है। अतः मूल अभिलेखों के सटीक संधारण न होने, प्रत्येक प्रकरण को निराकरण हेतु ध्यान न देने, प्रयास न करने के कारण उचंत पंजी में विविध लोक निर्माण अग्रिमों का संचय होकर लंबे अवधि से असमायोजित रही।

3.8 निष्कर्ष

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान दिये गये अनुदान राशि ₹ 6,848.30 करोड के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (11858) लंबित था। किसी भी स्वायत निकायों जैसे छ.ग गृह निर्माण मंडल द्वारा 31 मार्च 2013 तक कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। 31 मार्च 2013 के अंत तक ₹ 6.22 करोड़ के संक्षिप्त आकस्मिक देयको के ₹ 4.29 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित थे। 31 मार्च 2013 के अंत में ₹ 605.79 करोड़ की निधि व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा थे । ₹ 3.77 करोड़ के लगभग 23 व्यक्तिगत निक्षेप खाते तीन वर्षो से ज्यादा समय से अप्रचलित थे । हानि एवं गबन आदि के 1586 प्रकरणों मे से ₹ 193.79 करोड़ के 576 प्रकरण 20 वर्षो से ज्यादा समय से लंबित है।

31 मार्च 2013 की स्थिति में ठेकेदारों,आपूर्तिकर्ताओं,विभागीय कर्मचारी तथा अन्य विभागों/संभागों के विविध लोक निर्माण अग्रिम से संबंधित ₹ 133.01 करोड़ समायोजन किये जाने हेतु लंबित थे। एम.पी.डब्लू.ए. लेखे न सिर्फ उचन्त लेखे में वृहद् राशि इकट्ठा हुआ बल्कि ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित आर्थिक लाभ पहुँचाया गया।

3.9 अनुशंसाएं

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- विभागों द्वारा अनुदान ग्राहियो से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
- संक्षिप्त आकस्मिक देयको का समयबद्ध समायोजन हेतु एक निगरानी तंत्र बनाया जाना चाहिए।
- व्यक्तिगत निक्षेप खातो को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व बंद किया जाना चाहिए तथा अप्रचलित खातो में पड़ी हुई राशि को संबंधित सेवा शीर्ष मे अंतरित किया जाना चाहिए।
- संभागो द्वारा वैध कारणों के बिना तथा सी.पी.डब्लू.ए. संहिता का उल्लंघन करते हुए एम.पी.डब्लू.ए. में लेनदेन की बुकिंग करने की चलन से बचना चाहिए।
- विविध लोक निर्माण अग्रिम के लंबित प्रकरणो के निपटान के लिए निजी पक्षकार तथा विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध प्रभावी तथा समय पर कार्यवाही किया जाना चाहिए।

रायपुर **(पूर्ण चन्द्र माझी)**
दिनांक **महालेखाकार(लेखापरीक्षा),छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**